

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- श्री रणजीत कुमार आरएएस

मुकदमा संख्या :- 122/2022

अनवान मुकदमा -

1. अनिल कुमार पुत्र आईदान जाति जाट साकिन 6 एचएलएम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. सुनील कुमार पुत्र आईदान जाति जाट साकिन 6 एचएलएम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- वादीगण

बनाम

1. देवीलाल पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी जाखड़ावाली हाल 6 एचएलएम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. सन्तो पत्नी बेगाराम जाति जाट निवासी चक 6 एचएलएम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. आईदान पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी चक 6 एचएलएम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. सावित्री देवी पत्नी बलवीर सिंह पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी चौटाला तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
5. इन्दुबाला पत्नी अनिल कुमार पुत्र आईदान जाति जाट निवासी पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. मोनू पत्नी मनीष कुमार पुत्री आईदान जाति जाट निवासी पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा।

-- प्रतिवादीगण

--: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणा :-

--: उपस्थित अभिभाषकगण :-

- | | |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| 1. श्री धन्नाराम सुथार अधिवक्ता | --- वादीगण |
| 2. श्री विनोद कुमार बिश्नोई अधिवक्ता | --- प्रतिवादी सं. 1 ता 6 |
| 3. राजपैरोकार तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा | --- प्रतिवादी सं. 7 |

--: निर्णय :-

दिनांक -16/06/2022

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पंजीकृत पता वहीं है जो उक्त वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है। वादीगण का परिवार की वृक्षवंशावली पेश की गई है।

वर्तमान राजस्व तहसील पीलीबंगा के चक 11 एमडब्ल्यूएम के संख्या 37 के प0न0 115/372(38) के कि0न0 14 की 0.253 है व 116/372(37) के कि0न0 11 ता 15 की 1.265 है व प0न0 119/371(33) के कि0न0 1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025, 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/1/0.227, 5/2/0.026 की 1.265 है व प0न0 120/371(34) के कि0न0

16/06/2022
सहायक कलक्टर एवं

1/1/0.228, 2 की 0.481 है० इस प्रकार चारो पत्थरों की कुल 3.264 है० कमाण्ड मय गै०मु० खाला खातेदारी कृषि भूमि व चक 7 जेडडब्ल्यू डी के खाता संख्या 14 के प०न० 110/374(13) के कि०न० 8/1/0.076, 13, 14/1/0.215 की 0.544 है० कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि वादीगण के दादा प्रतिवादी संख्या 1 के देवीलाल पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी जाखड़ावाली हाल चक 6 एचएलएम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबदी संवत् 2074 से 2077 व 2075 से 2078 संलग्न वाद पत्र है।


वाद पत्र की मद संख्या 3 वर्णित कृषि भूमि है जो प्रतिवादी संख्या 1 को वादीगण के पड़दादा बेगाराम से विरासतन में प्राप्त हुई है। उक्त कृषि भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है जिसमें वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक व हिस्सा निहित है उक्त पैतृक कृषि भूमि बाबत वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के मध्य अर्सा दराज पूर्व घरू बंटवारा हो चुका है जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 ने अपना समस्त हिस्सा वादीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष में छोड़ दिया है। वादीगण संख्या 1 ता 2 को मुताबकि बंटवारा कर कृषि भूमि निम्न प्रकार प्राप्त हुई है-

(क) वादीगण(अनिल कुमार- सुनील कुमार) को तहसील पीलीबंगा के चक 11 एमडब्ल्यूएम के खाता संख्या 37 के प०न० 115/372(38) के कि०न० 14 की 0.253 है० व प०न० 116/372(37) के कि०न० 11 ता 15 की 1.265 है० व प०न० 119/371(33) के कि०न० 1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025, 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/1/0.227, 5/2/0.026 की 1.265 है व प०न० 120/371(34) के कि०न० 1/1/0.228, 2 की 0.481 है० इस प्रकार चारो पत्थरों की कुल 3.264 है० कमाण्ड मय गै०मु० खाला खातेदारी कृषि भूमि बहिब प्राप्त हुई है। शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है के नाम यथावत रहेगी, वादीगण संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 1 को घरू बंटवारा में प्राप्त भूमि पर वादीगण संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 1 शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादीगण को प्राप्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण वादीगण की हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है इसलिए वादीगण खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के हकदार है।

अतः वाद वादीगण पेश कर निवेदन किया गया है कि वाद वादीगण निम्नानुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे :-

वादीगण(अनिल कुमार- सुनील कुमार) को तहसील पीलीबंगा के चक 11 एमडब्ल्यूएम के खाता संख्या 37 के प०न० 115/372(38) के कि०न० 14 की 0.253 है० व प०न० 116/372(37) के कि०न० 11 ता 15 की 1.265 है० व प०न० 119/371(33) के कि०न० 1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025, 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/1/0.227, 5/2/0.026 की 1.265 है व प०न० 120/371(34) के कि०न० 1/1/0.228, 2 की 0.481 है० इस प्रकार चारो पत्थरों की कुल 3.264 है० कमाण्ड मय गै०मु० खाला खातेदारी बहिब कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 6 मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। उभयपक्ष के वकीलों द्वारा पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गई कि दोनो पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गई। पहचान सिद्ध होने पर


सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। जवाब स्टेट प्राप्त हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।


राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है।

एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

--:: आदेश ::--

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित कृषि भूमि वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 व 6 की पैतृक खातेदारी भूमि है जो जद्दी जायदाद होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वादीगण(अनिल कुमार- सुनील कुमार) को तहसील पीलीबंगा के चक 11 एमडब्ल्यूएम के खाता संख्या 37 के प0न0 115/372(38) के कि0न0 14 की 0.253 है0 व प0न0 116/372(37) के कि0न0 11 ता 15 की 1.265 है0 व प0न0 119/371(33) के कि0न0 1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025, 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/1/0.227, 5/2/0.026 की 1.265 है व प0न0 120/371(34) के कि0न0 1/1/0.228, 2 की 0.481 है0 इस प्रकार चारो पत्थरों की कुल 3.264 है0 कमाण्ड मय गै0मु0 खाला खातेदारी बहिब कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।


(रणजीत कुमार) कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- श्री रणजीत कुमार आरएस

मुकदमा संख्या :- 122/2022

अनवान मुकदमा -

1. अनिल कुमार पुत्र आईदान जाति जाट साकिन 6 एचएलएम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. सुनील कुमार पुत्र आईदान जाति जाट साकिन 6 एचएलएम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- वादीगण

बनाम

1. देवीलाल पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी जाखड़ावाली हाल 6 एचएलएम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. सन्तो पत्नी बेगाराम जाति जाट निवासी चक 6 एचएलएम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. आईदान पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी चक 6 एचएलएम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. सावित्री देवी पत्नी बलवीर सिंह पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी चौटाला तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
5. इन्दुबाला पत्नी अनिल कुमार पुत्र आईदान जाति जाट निवासी पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. मोनू पत्नी मनीष कुमार पुत्री आईदान जाति जाट निवासी पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा।

-- प्रतिवादीगण

-: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणा :-


-:: उपस्थित अभिभाषकगण ::-

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1. श्री धन्नाराम सुथार अधिवक्ता | ---- वादीगण |
| 2. श्री विनोद कुमार बिश्नोई अधिवक्ता | ---- प्रतिवादी सं. 1 ता 6 |
| राजपैरोकार तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा | ---- प्रतिवादी सं. 7 |

-:: निर्णय ::-

दिनांक :- 16/06/2022


वादी की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया, एडवोकेट एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 2 की ओर से श्री बलवीर मोयल, अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को रणजीत कुमार आरएस उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955 की धारा 88 के अन्तर्गत वादीगण(अनिल कुमार- सुनील कुमार) को तहसील पीलीबंगा के चक 11 एमडब्ल्यूएम के खाता संख्या 37 के प0न0


सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

115/372(38) के कि०न० 14 की 0.253 है० व प०न० 116/372(37) के कि०न० 11 ता 15 की 1.265 है० व प०न० 119/371(33) के कि०न० 1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025, 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/1/0.227, 5/2/0.026 की 1.265 है व प०न० 120/371(34) के कि०न० 1/1/0.228, 2 की 0.481 है० इस प्रकार चारो पत्थरों की कुल 3.264 है० कमाण्ड मय गै०मु० खाला खातेदारी बहिब कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 16/06/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(रणजीत कुमार) कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी एवम् पीलीबंगा
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

न्यायालय उपस्रण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- श्री रणजीत कुमार आरएएस

मुकदमा संख्या :- 201/2022

अनवान मुकदमा -

1. ओमप्रकाश पुत्र मनीराम जाति मेघवाल साकिन 34 एसटीजी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- वादी

बनाम

1. बलराम पुत्र मनीराम जाति मेघवाल साकिन 34 एसटीजी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- प्रतिवादी

--:वाद पत्र अन्तर्गत धारा 49 रा.का.अधि. बाबत विनियम:---: उपस्थित अभिभाषकगण :-

1. श्री राजेन्द्र कुमार पटीर अधिवक्ता --- वादी
2. श्री जगराज सिंह भारी अधिवक्ता --- प्रतिवादी

--: निर्णय :-

दिनांक - 25.05.2022

वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 49 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी का पंजीकृत पता वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है जो सही व सत्य है।

वादी व प्रतिवादी के द्वारा एक दावा पूर्व में अनवान बलराम आदि बनाम रामप्रताप आदि अन्तर्गत धारा 88, 53, 49 राकाअधि के तहत मु.नं. 174/22 श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिसे श्रीमान न्यायालय द्वारा दिनांक 06.05.2022 को निर्णय व डिक्री किया गया है। जिसमें वादी व प्रतिवादी को निम्नानुसार कृषि भूमि प्राप्त हुई थी -

क. प्रतिवादी बलराम को प्राप्त भूमि -

तहसील पीलीबंगा के चक 11 एसटीबी के खाता सं. 38/36 के प.नं. 0/342 (33) किला नं. 1/164, 2 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 9, 10/11.215 की 2.403 हैक्. नाली प्रथम मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी, खाता सं. 33/32 के प.नं. 0/342 (33) किला नं. 10/2 ता 25/2, प.नं. 0/343 (38) किला नं. 1 ता 5, 7 ता 12/2, प.नं.1/343 (37) किला नं. 3/1 ता 5/2 की कुल 5.831 हैक्. नाली प्रथम मय गैर मुमकिन खाला रास्ता खातेदारी में वादी सं.2 के 1943/5831 हिस्सा में से 1.176 हैक्. व प्रतिवादी सं.1 का तमाम 1012/5831 हिस्सा (उक्त खाता में से प्रतिवादी सं.1 का नाम व हिस्सा कल्मजन होगा व वादी सं.2 का शेष हिस्सा बदस्तुर रहेगा)।

ख. वादी ओमप्रकाश को प्राप्त भूमि -

तहसील पीलीबंगा के चक 11 एसटीबी के खाता सं. 39/37 के प.नं. 2/342 (35) किला नं. 2 ता 14, 18 ता 22, प.नं. 2/343 (36) किला नं. 1, 2 की कुल 3.427 हैक्. नाली प्रथम खातेदारी (जिसमें से वादी सं.1, प्रतिवादी सं. 1, 2 का नाम व हिस्सा कल्मजन होगा), खाता सं. 38/36 के प.नं. 0/340 (24) किला नं. 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 24, 25/1, 25/2 की 2.024 हैक्. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी, खाता सं. 33/32 के प.नं. 0/342 (33) किला नं. 10/2 ता 25/2, प.नं. 0/343 (38) किला नं. 1 ता 5, 7 ता

25.05.2022
सहायक कलक्टर

12/2, प.नं.1/343 (37) किला नं. 3/1 ता 5/2 की कुल 5.831 हैक्. नाली प्रथम मय गैर मुमकिन खाला रास्ता खातेदारी में वादी सं.2 के 1943/5831 हिस्सा में से 0.767 हैक्. नाली प्रथम मय गैर मुमकिन खाला रास्ता खातेदारी।

प्रतिवादी को धरातल की जानकारी न होने के कारण उक्तानुसार कृषि भूमि का घरू बंटवारा किया गया था जो बिना किसी ज्ञान के किया गया जो कि पक्षकारान की जमीन एक दूसरे से काफी दूर हो गई व कृषि कार्य करना दुर्भर हो गया है। अब वादी व प्रतिवादी ने आपस में अपनी कृषि भूमि का विनिमय किया है। जो निम्न प्रकार से है -

क. वादी ओमप्रकाश को प्राप्त भूमि -

तहसील पीलीबंगा के चक 11 एसटीबी के खाता सं. 33/32 के प.नं. 0/342 (33) किला नं. 10/2 ता 25/2, प.नं. 0/343 (38) किला नं. 1 ता 5, 7 ता 12/2, प.नं.1/343 (37) किला नं. 3/1 ता 5/2 की कुल 5.831 हैक्. नाली प्रथम मय गैर मुमकिन खाला रास्ता खातेदारी में से 1943/5831 हिस्सा (ओमप्रकाश के उक्त हिस्सा में से 1.176 हैक्. भूमि बलराम को जरिये डिक्री प्राप्त हुई थी अब उक्त 1.176 हैक्. भूमि वापिस वादी ओमप्रकाश प्राप्त करेगा)।

ख. प्रतिवादी बलराम को प्राप्त भूमि -

तहसील पीलीबंगा के चक 11 एसटीबी के खाता सं. 39/37 के प.नं. 2/342 (35) किला नं. 13/.090, 14/.025, 18/.025, 19/.215, 20/.253, 21/.240, 22/.038, प.नं. 2/343 (36) किला नं. 1/.126, 2/.126 की कुल 1.138 हैक्. (उक्त भूमि पूर्व डिक्री में ओमप्रकाश को प्राप्त हुई थी जो अब वापिस प्रतिवादी बलराम को प्राप्त होगी)

शेष कृषि भूमि पूर्व डिक्री अनुसार यथावत रहेगी।

उक्तानुसार वादी व प्रतिवादी अपने अपने हिस्सा में आई भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। इसी अनुसार वादी विनिमय करवाने का हकदार है।


अतः वाद वादी पेश कर निवेदन है कि वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जाकर घोषित किया जावे :-

घोषित किया जावे कि वादी व प्रतिवादी वाद पत्र की दफा 3 की उपदफा क से ख अनुसार खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे व शेष कृषि भूमि पूर्व में पारित निर्णय व डिक्री अनुसार यथावत रहेगी।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण व प्रतिवादी मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। उभयपक्ष के वकीलों द्वारा पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गई कि दोनो पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गई। पहचान सिद्ध होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। इस न्यायालय में दायर वाद संख्या 174/2022 में पारित डिक्री दिनांक 06.05.2022 द्वारा वादी एवं प्रतिवादी को भूमि का बंटवारा किया गया था। इस बंटवारा डिक्री में ओमप्रकाश को जो भूमि प्राप्त हुई है उसके बदले प्रतिवादी तबादला में उतनी ही भूमि वादी को देने हेतु सहमत है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 49(1) मे स्पष्ट है कि कोई खातेदार अभिधारी जो ऐसे किसी क्षेत्र का जिसे वह जोतता है, समेकन करना चाहे तो


25.05.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

वह सहायक कलेक्टर से उस भूमि के जसे वह जोतता है किसी भाग का किसी अन्य खातेदार अभिधारी द्वारा जोती जाने वाले भूमि से विनिमय करने के लिए आवेदन कर सकेगा।

-:: आदेश ::-

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादी एवं प्रतिवादी की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 49 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि के निम्नानुसार विनिमय किया जाता है-

क. वादी ओमप्रकाश को प्राप्त भूमि -

तहसील पीलीबंगा के चक 11 एसटीबी के खाता सं. 33/32 के प.नं. 0/342 (33) किला नं. 10/2 ता 25/2, प.नं. 0/343 (38) किला नं. 1 ता 5, 7 ता 12/2, प.नं.1/343 (37) किला नं. 3/1 ता 5/2 की कुल 5.831 हैक्. नाली प्रथम मय गैर मुमकिन खाला रास्ता खातेदारी में से 1943/5831 हिस्सा (ओमप्रकाश के उक्त हिस्सा में से 1.176 हैक्. भूमि बलराम को जरिये डिक्री प्राप्त हुई थी अब उक्त 1.176 हैक्. भूमि वापिस वादी ओमप्रकाश प्राप्त करेगा)।

ख. प्रतिवादी बलराम को प्राप्त भूमि -

तहसील पीलीबंगा के चक 11 एसटीबी के खाता सं. 39/37 के प.नं. 2/342 (35) किला नं. 13/090, 14/025, 18/025, 19/215, 20/253, 21/240, 22/038, प.नं. 2/343 (36) किला नं. 1/126, 2/126 की कुल 1.138 हैक्. (उक्त भूमि पूर्व डिक्री में ओमप्रकाश को प्राप्त हुई थी जो अब वापिस प्रतिवादी बलराम को प्राप्त होगी)

शेष कृषि भूमि पूर्व डिक्री अनुसार यथावत रहेगी।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

25.05.2022
(रणजीत कुमार कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी एवं पीलीबंगा
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा)

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- श्री रणजीत कुमार आरएएस

मुकदमा संख्या :- 201/2022

अनवान मुकदमा -

1. ओमप्रकाश पुत्र मनीराम जाति मेघवाल साकिन 34 एसटीजी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- वादी

बनाम

1. बलराम पुत्र मनीराम जाति मेघवाल साकिन 34 एसटीजी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- प्रतिवादी

:- वाद पत्र अन्तर्गत धारा 49 रा.का.अधि. बाबत विनिमय:-

निर्णय

दिनांक :- 25.05.2022

वादी की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार पटीर, एडवोकेट एवं प्रतिवादी की ओर से श्री जगराज सिंह भारी, अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को श्री रणजीत कुमार उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955 की धारा 49 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि के निम्नानुसार विनिमय किया जाता है-


क. वादी ओमप्रकाश को प्राप्त भूमि -

तहसील पीलीबंगा के चक 11 एसटीबी के खाता सं. 33/32 के प.नं. 0/342 (33) किला नं. 10/2 ता 25/2, प.नं. 0/343 (38) किला नं. 1 ता 5, 7 ता 12/2, प.नं.1/343 (37) किला नं. 3/1 ता 5/2 की कुल 5.831 हैक्. नाली प्रथम मय गैर मुमकिन खाला रास्ता खातेदारी में से 1943/5831 हिस्सा (ओमप्रकाश के उक्त हिस्सा में से 1.176 हैक्. भूमि बलराम को जरिये डिक्री प्राप्त हुई थी अब उक्त 1.176 हैक्. भूमि वापिस वादी ओमप्रकाश प्राप्त करेगा)।

ख. प्रतिवादी बलराम को प्राप्त भूमि -


तहसील पीलीबंगा के चक 11 एसटीबी के खाता सं. 39/37 के प.नं. 2/342 (35) किला नं. 13/090, 14/025, 18/025, 19/215, 20/253, 21/240, 22/038, प.नं. 2/343 (36) किला नं. 1/126, 2/126 की कुल 1.138 हैक्. (उक्त भूमि पूर्व डिक्री में ओमप्रकाश को प्राप्त हुई थी जो अब वापिस प्रतिवादी बलराम को प्राप्त होगी)

शेष कृषि भूमि पूर्व डिक्री अनुसार यथावत रहेगी।


25.05.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.05.22 को हमारे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(रणजीत कुमार) कलक्टर एवं
सहायक अधिकारी पीलीबंगा
उपखण्ड अधिकारी एचएम
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा